

न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास- दिनेश कुमार यादव, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या -46/2020

आर.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर - 2020/00051

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेण्ट
लादूराम पुत्र मोटाराम जाति जाट निवासी ग्राम सुराणा तहसील व जिला नागौर		तहसीलदार, नागौर

उपस्थिति:-

1. अपीलाण्ट की ओर से वकील श्री रिद्धकरण धोलिया।
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा।

निर्णय

दिनांक 17-02-2020

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1955 की धारा 75 के तहत तहसीलदार नागौर द्वारा मुकदमा नम्बर 139/2019 अधीन धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 में पारित निर्णय दिनांक 20.12.2019 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की गई। अपीलाण्ट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि तहसीलदार नागौर के समक्ष पटवारी हल्का, चाउ ने एक सरासर गलत रिपोर्ट पेश कर जाहिर किया कि मौजा चाउ के खसरा नम्बर 90 किस्म गै.मु. रास्ता पर 0.15 बीघा भूमि पर अतिक्रमण कर मकान, बाड़ा, गैहूँ, रायड़ा की कास्त कर सम्वत 2076 में फसल रबी में अतिक्रमण किया व पूर्व में फसल खरीफ में भी काश्त की गई थी, जिसके लिए गैर सायल पश्चात्वृत्ति अतिक्रमी है इस अतिक्रमण की रिपोर्ट हल्का पटवारी चाउ द्वारा की गई जिसके आधार पर भू-राजस्व अधिनियम 1955 की धारा 91 के तहत पश्चात्वृत्ति अतिक्रमी का प्रकरण दर्ज किया गया व उसमें अपीलांट को सुने बिना व अपीलांट का कथित रास्ता के किसी भी भू-भाग पर कोई कब्जा/अतिक्रमण कभी भी नहीं होने व रास्ता पहले की भांति आज दिन भी खुला आवागमन के लिए उपलब्ध होने के बावजूद 4-5 माह के भीतर-भीतर फर्जी व झुठी अतिक्रमण की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा गांव की राजनेतिक पार्टीबाजी के चलते समूह विशेष के अनुचित दबाव व प्रभाव में आकर एक परिवार विशेष के लोगो के विरुद्ध मिथ्या अतिक्रमण की बार-बार शिकायते/रिपोर्ट पेश कर दी व तहसीलदार ने भी अपने स्तर पर जांच किये बिना अपीलांट को अकारण पश्चात्वृत्ति अतिक्रमी घोषित कर जुर्माना व 90 दिन की सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किये जाने साथ ही मकान, टांका काश्त नष्ट करने का निर्णय व अपीलांट खातेदारी के रकबा में सें 0.4 बीघा रास्ते के लिए समर्पण करे तो मकान नहीं गिराने व शेष बाड़ा व काश्त को नष्ट करने आदि का निर्णय/आदेश दिनांक 20.12.2019 को पारित कर दिया। जिस आदेश/निर्णय से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

विद्वान तहसीलदार नागौर ने निर्णय जैर अपील कतई गलत, बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये, बिना मौके की वास्तविक जांच किये, आवागमन का रास्ता खुला होते हुए भी व केवल नाप चोप का मामला होते हुए भी पटवारी हल्का द्वारा समूह विशेष के अनुचित प्रभाव में आकर की गयी मिथ्या अतिक्रमण रिपोर्ट बाबत अपने स्तर पर कोई जांच किये बिना व रास्ते एवं रास्ते के दोनो तरफ के खेतो का नाप चोप की रिपोर्ट लिये बिना तथा अपीलांट की सुनवाई किये बिना जल्दबाजी में पारित किया होने से विधि विरुद्ध व नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से स्थिर रहने योग्य नहीं है खारिज किये जाने योग्य है व तहसीलदार को टीम सहित मौके पर भेज कर रास्ते के दोनो तरफ के खातेदारी के भूमियों का रूबरू खातेदारो व मौतबिरान के नाप चोप करवा कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने के विशेष निर्देश दिये जाना प्रकरण की विशेष परिस्थितियों में आवश्यक व न्याय संगत है ताकि अनावश्यक रूप से खातेदार/ अपीलांट की खातेदारी की भूमि से उसे बेदखल नहीं किया जा सके व उसकी खातेदारी की भूमि में बने मकान, पानी का टांका बाड़ा, फसल नष्ट नहीं हो सके

तथा यही विधि की मंशा है। कथित सरकारी रास्ता की भूमि पर अपीलांट का न तो कब्जा/अतिक्रमण है न ही पूर्व में अपीलांट ने किसी रास्ते के भूभाग पर कभी कब्जा/ अतिक्रमण किया न उसे बेदखल किया गया है केवल मात्र गांव की राजनेतिक पार्टीबाजी से रंजिश रखने वाले समूह विशेष के लोगो ने अपीलांट व उसके परिवार वालो के विरुद्ध पटवारी हल्का से झुठी शिकायत करवा कर गलत रिपोर्ट तहसीलदार के समक्ष पेश करवाई है अगर मौके की स्थिति का निरीक्षण किया जावे व टीम से रूबरू खातेदारों व मौतबिरान के नाप चोप करवाया जावे तो सारे तथ्य स्पष्ट हो जायेगे, इसलिए बिना कब्जा/ अतिक्रमण के ही अपीलांट के विरुद्ध इस तरह का कठोर निर्णय/ आदेश पारित करना कतेई न्यायोचित नहीं होने से निर्णय जैर अपील अपास्त/ निरस्त/संशोधित किया जाना आवश्यक व विधि द्वारा अपेक्षित व न्यायोचित है ताकि पटवारी हल्का की मनमर्जी के कारण किसी किसान को अनावश्यक दण्डित नहीं होना पडे।

लायक अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन किया जावे व निर्णय को पढा जावे तो स्पष्ट है कि विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने आरबीट्रेरी ढंग से निर्णय/आदेश जैर अपील पारित किया है क्योंकि जल्दबाजी में ही बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये शहादत सुनवाई व साक्ष्य से वंचित रखते हुए व बिना सुनवाई किये नजदीक पेशी रख कर दिनांक 20.12.2019 को गेर सायल की जानकारी के बिना ही उसकी पीठ पीछे इस तरह का निर्णय पारित कर देना विधिक प्रक्रिया का भाग नहीं है विधि विरुद्ध तरीके से केवल मात्र येन केन प्रकारेण अपीलांट को कारावास से दण्डित करने व उसके कदीमी पुराने मकान, टांका, बाडा आदि को नष्ट करने के उद्देश्य से ही सारी कार्यवाही की गयी है जो पत्रावली स्वयं बोलती है अपीलांट को उसके विधिक अधिकारों से उसे वंचित रखा गया है। जबकि अपीलांट को सुनवाई, जवाबदेही साक्ष्य का अवसर दिया जाता व पटवारी से जिरह का अवसर दिया जाता तो वास्तविक स्थिति पत्रावली पर स्पष्ट हो जाती तथा ऐसा निर्णय कतई नहीं हो सकता था, लेकिन जानबूझ कर ऐसा नहीं किया गया व अप्रासंगिक तथ्य मनमर्जी से दर्ज किये गये है जबकि वास्तविक स्थिति तो यह है कि अपीलांट का रास्ते के पास खेत आया हुआ है जो कदीम से सीवों माठो व बाड सहित सुरक्षित रहा है व उसमें पुराने समय के मकान, पानी का टांका, पशुओ का बाडा आदि बने हुए है कोई नया निर्माण नहीं है अपीलांट का रास्ते के किसी भी भूभाग पर कभी कोई अतिक्रमण नहीं रहा है रास्ता चालू है इसके बावजूद अपीलांट का नम्र निवेदन है कि यदि रास्ता व उसके दोनो तरफ की खातेदारो के खेतो का नाप चोप निष्पक्ष रूप से किया जावे और उस सुरत में यदि कोई अपीलांट का कब्जा पाया जावे तो अपीलांट ऐसा कब्जा हटाने को सदैव तैयार था, है व रहेगा मगर ऐसा जानबूझ कर नहीं किया गया है व बिना कब्जा/अतिक्रमण के ही अपीलांट को बहुत कम समयावधि में पश्चात्वृति अतिक्रमी बताकर निरंकुश निर्णय पारित किया गया है जिससे एक गरीब किसान के हितो पर भारी कुठाराघात हुआ है व अपीलांट की पीठ पीछे निर्णय जैर अपील पारित कर दिया, जो विधि सम्मत निर्णय की तारीफ में नहीं आता है तथा अपास्त किये जाने योग्य है।

हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार ने स्वयं के स्तर पर मौका निरीक्षण किये बिना, अपीलांट को जवाबदेही व साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिये बिना तथा मौके पर रास्ता व खातेदारी की भूमि का नाप चोप करवाये बिना ही सरसरी तौर पर जल्दबाजी में निर्णय जैर अपील पारित किया है जो विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना पारित किया गया होने से विधि गैर कानूनी निर्णय है तथा अपास्त किये जाने योग्य है। लायक अदालत मातहत ने अपीलांट को न तो पटवारी हल्का से जिरह का अवसर दिया न ही अन्य कोई साक्ष्य सबूत पेश करने का उचित अवसर प्रदान किया। जबकि अपीलांट द्वारा कभी भी अतिक्रमण नहीं किया गया है पडौसी खातेदारों द्वारा समय-समय पर रास्ते को अवरुद्ध किया जाता रहा है इसलिए उनके विरुद्ध कार्यवाही करने की बजाय रास्ता को अपीलांट के खेत में कायम करवाने की बदनियती व षडयंत्र के तहत अपीलांट के विरुद्ध झुठी रिपोर्ट अन्य लोगो द्वारा करवाई गयी तथा वास्तविक अतिक्रमी लोग राजनेतिक रसूखात रखने वाले है जिनके विरुद्ध कोई कार्यवाही न तो पटवारी हल्का करता है न तहसीलदार ने की है व उनके अतिक्रमण को बचाये रखने के लिए अतिक्रमण बाबत कार्यवाही व निर्णय की औपचारिकता पूरी करने के लिए अपीलांट को शिकार बनाया है जबकि अपीलांट ने कभी भी रास्ता की भूमि पर कब्जा नहीं किया है ऐसा अपीलांट सोच भी नहीं सकता है रास्ता पर कब्जा/अतिक्रमण करने वालो का अपीलांट सदैव विरोधी रहा है तो अपीलांट द्वारा रास्ता पर कब्जा करना कतई माने जाने योग्य नहीं है इस तरह के बिना आधार के बेवुनियाद तथ्य दर्ज कर सिविल कारावास जैसा कठोर निर्णय/आदेश अनावश्यक रूप से पारित किया है जो विधि विरुद्ध है जिससे निर्णय जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य है। तहसीलदार के समक्ष जिस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई उसके अनुसार या तो उनको स्वयं को मौका निरीक्षक करना चाहिए था या किसी निष्पक्ष टीम से मौके की जांच करवाई जाती तो वस्तु स्थिति स्पष्ट हो जाती मगर गांव की राजनेतिक पार्टीबाजी के कारण


कलक्टर, नागौर

अपीलांट को नाजायज तंग परेशान करने के लिए उक्त अन्य लोगों ने अपना नाजायज अतिक्रमण बचाये रखने के लिए व अपीलांट द्वारा समय-समय पर इसके बारे में उनके विरुद्ध पटवारी हल्का वगैरा से शिकायत करने से उससे नाराज होकर अपीलांट का अतिक्रमण न होते हुए भी उसके विरुद्ध कार्यवाही करवाई है इस संबंध में जवाबदेही व साक्ष्य सबूत का अवसर दिये बिना आदेश जैर अपील पारित करने में विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने विधिक त्रुटि की है जबकि आज भी किसी निष्पक्ष टीम से मौका निरीक्षण करावे तो वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकती है ऐसी स्थिति में निर्दोष अपीलांट के विरुद्ध पारित निर्णय जैर अपील अपास्त किया जाना न्यायोचित है अन्यथा अपीलांट के विधिक अधिकारों पर भारी कुठाराघात होगा व उसे अपूर्ण्य क्षति होगी, बिना वजह कारावास जैसा कठोरतम दण्ड अनावश्यक निर्दोष अपीलांट को भुगतना पड़ेगा जो किसी भी सुरत में न्याय संगत नहीं है इन हालात में निर्णय जैर अपील हस्तक्षेप योग्य है।

प्रथम तो अपीलांट का किसी भी रास्ते की भूमि पर कोई कब्जा नहीं है दोयम में ऐसा कोई रास्ते पर कब्जा होता तो उसके विरुद्ध ग्रामवासियों द्वारा अवश्य शिकायत की जाती, जबकि पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य सबूत नहीं है जिससे स्पष्ट था व है कि पटवारी ने मिथ्या रिपोर्ट पेश की है जो गांव की राजनैतिक पार्टीबाजी की वजह द्वेषतापूर्वक रिपोर्ट की है पटवारी से अपीलांट को जिरह का अवसर भी नहीं मिला है जिससे वास्तविक स्थिति पत्रावली नहीं आ सकी है और उपरोक्त महत्वपूर्ण बिन्दुओं के मध्य नजर निर्णय जैर अपील विधि विरुद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलांट ने अपने खातेदारी के खेत का सीमाज्ञान करवाने हेतु समय-समय पर तहसीलदार नागौर से निवेदन पूर्व में किया था मगर तहसीलदार ने किसी प्रकार की टीम गठित कर सीमाज्ञान नहीं करवाया, जिसकी जानकारी पटवारी हल्का को है इसके बावजूद पटवारी हल्का ने रास्ते का सही सीमाज्ञान नहीं कर उल्टा अपीलांट के विरुद्ध ही झुठी कार्यवाही की धमकी दी, अपीलांट को पटवारी हल्का द्वारा एक-दो बार कहा भी गया था कि बार बार सीमाज्ञान की बात मत करो वरना आपके खिलाफ भी कार्यवाही करवा दुगा, इसी क्रम में झुठी रिपोर्ट कर यह निर्णय करवाया है इसलिए मौके पर निष्पक्ष टीम से जांच व नाप चोप करवाया जाने पर वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो जायेगी, क्योंकि पटवारी ने मौके पर आकर कभी भी सीमाज्ञान व नाप चोप नहीं किया है। इसलिए भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय खारिज किये जाने योग्य है।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस सूची दस्तावेज के साथ गेनाराम पुत्र मोटाराम कौम जाट निवासी झोरडा हाल निवासी सुराणा तहसील व जिला नागौर ने अपनी खातेदारी भूमि ग्राम सुराणा के खसरा नम्बर 94 में से 07 विस्वा भूमि खेत के पश्चिमी भाग में वर्तमान में निर्मित ग्रेवल सड़क का भाग 24 फुट चौड़ा खेत के उत्तरी माठ से दक्षिणी माठ तक वाला भाग जो राज्य सरकार को समर्पण करने बाबत तहसीलदार नागौर को प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 09.12.2019 एवं उक्त गेनाराम का समर्पण पत्र दिनांक 09.12.2019, व बेचान हक खातेदारी दिनांक 09.12.2019 द्वारा गेनाराम बहक लादूराम पुत्र मोटाराम जाट निवासी झोरडा हाल निवासी सुराणा तहसील व जिला नागौर, बेचान हक खातेदारी दिनांक 09.12.2019 द्वारा लादूराम बहक दानाराम पुत्र मोटाराम जाट निवासी झोरडा हाल निवासी सुराणा तहसील व जिला नागौर, बेचान हक खातेदारी दिनांक 09.12.2019 द्वारा दानाराम बहक हड़मानराम पुत्र गेनाराम जाट निवासी ग्राम सुराणा तहसील व जिला नागौर, बेचान हक खातेदारी दिनांक 09.12.2019 द्वारा गेनाराम बहक हड़मान पुत्र गेनाराम जाट निवासी सुराणा तहसील व जिला नागौर की छाया प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सुराणा के खसरा नम्बर 94 में से 07 विस्वा भूमि खेत के पश्चिमी भाग में वर्तमान में निर्मित ग्रेवल सड़क का भाग 24 फुट चौड़ा खेत के उत्तरी माठ से दक्षिणी माठ तक वाला भाग जो राज्य सरकार को समर्पण करने बाबत तहसीलदार नागौर से निवेदन कर दिये जाने का निवेदन करते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

राजपरोकार ने वकील अपीलान्ट की बहस का विरोध करते हुए कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा ग्राम चाउ के खसरा नम्बर 90 किस्म गै.मु. रास्ता की 0.15 बीघा भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया गया है, जो पटवारी हल्का चाउ व भू-अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट साबित होने का कथन करते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण में पटवारी हल्का चाउ व भू अभिलेख निरीक्षक जोधियासी की रिपोर्ट दिनांक 05.12.2019 अनुसार अपीलान्ट द्वारा ग्राम चाउ के खसरा नम्बर 90 गैर मुमकिन रास्ते की 0.15 बीघा भूमि पर मकान, बाड़ा व गेहू, शयड़ा की कास्त कर अतिक्रमण किया गया है। अपीलान्ट द्वारा उक्त रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई ठोस कारण नहीं बताया है। वकील अपीलान्ट ने ऐसी कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, जिससे यह साबित हो की अपीलान्ट का वादग्रस्त रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण नहीं हो। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को जारी तारीख पेशी 16.12.2019 का जारी नोटिस

पर अपीलान्त रवंग की तामील है, जो तामील पर्याप्त है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 18.12.19 के अनुसार अपीलान्त अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है। जहां तक वकील अपीलान्त का कथन कि ग्राम सुराणा के खसरा नम्बर 94 में से 07 बिस्वा भूमि खेत के पश्चिमी भाग में वर्तमान में निर्मित ग्रैवल सड़क का भाग 24 फुट चौड़ा खेत के उत्तरी माठ से दक्षिणी माठ तक वाला भाग जो राज्य सरकार को समर्पण करने बाबत तहसीलदार नागौर से निवेदन कर दिया गया है। हरतगत प्रकरण वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 90 की रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण से संबंधित है, इसलिए उक्तानुसार खसरा नम्बर 94 में से भूमि राजहक में समर्पण करने के संबंध प्रस्तुत आवेदन एवं समर्पण पत्र का हस्तगत प्रकरण से कोई सम्बन्ध नहीं है। जहां तक पश्चातवर्ती अतिक्रमण का विन्दु है, तो पूर्व में अपीलान्त द्वारा अतिक्रमण करने पर उसे बेदखल करने का आदेश एवं उस आदेश की पालना में अपीलान्त को भौतिक रूप से बेदखल करने की कोई बेदखली फर्द भी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है ऐसी स्थिति में अपीलान्त को पश्चावर्ती अतिक्रमी माना जाना उचित नहीं है। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में अपीलान्त द्वारा वादग्रस्त रास्ते की सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर अतिक्रमण साधित है।

अतः उक्त विवेचन के आधार अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील में अपीलान्त को 90 दिन के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किये जाने के आदेश को अपास्त किया जाता है, शेष निर्णय यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को उनकी मूल पत्रावली लौटादे हुऐ निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।



(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलेक्टर, नागौर

